पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 25 अप्रैल, 2023 ई0 बैशाख 05, 1945 शक सम्वत्

> उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 154/XXXVI(3)/2023/07(1)/2023 देहरादून, 25 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2023' पर दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 09, वर्ष-- 2023 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसमा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

2.

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1.

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार,
अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त नियत करें।

धारा 4 का संशोधन

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 4 में उपधारा (3) के खण्ड (ग) (घ) तथा (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएंगे: अर्थात:--

(ग) वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 और 2025–26 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस0डी०पी0) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कमश: 4.0 3.5, 3.0, 3.0 और 3.0 से अधिक न हो;

(घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य का संगत रीति से अनुपालन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी करेगी,

(च) (i) वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 और 2025–26 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के प्रतिशत के रूप में कुल दायित्व क्रमशः 32.6, 33.3, 33.1, 32.8 और 32.5 से अधिक न हो;

(11) यदि राज्य 15वें वित्त आयोग की अवधि के पहले चार वर्षों (2021–22 से 2024–25) के दौरान किसी विशेष वर्ष में अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं है, तो राज्य इस अप्रयुक्त धनराशि को 15वें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि के भीतर पश्चात्वर्ती किसी भी वर्ष में उपयोग कर सकेगा:

परन्तु यह कि आन्तरिक सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्भूत सीमाओं का आधिक्य वास्तविक राजकोषीय मूल्य, जो आपदाओं के लिये समर्पित किया जा सकता हो, से अधिक नहीं होगा;

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों की, यह संभाव्य हो जाने के पश्चात् कि ऐसी घाटे की धनराशि जपर्युक्त सीमाओं से बढ़ जायेगी, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष, आधिक्य की संमावित सीमा और जसके कारणों को अधिकथित करते हुए रिपोर्ट के साथ रखा जायेगा।

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश, सचिव।

3

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

12वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदांयित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 को अधिसूचित किया गया। तत्पश्चात् उक्त अधिनियम में वर्ष 2011, 2016 एवं 2020 में संशोधन किये गये।

2— 15वें वित्त आयोग की सरतुति और भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जनहित में उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में संशोधन किया जाना. आवश्यक है। उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों से राज्य सरकार को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकेंगे:—

(अ) 15वें वित्त आयोग द्वारा दिये गये राजकोषीय घाटे के सांकेतिक मार्ग का अनुसरण।

(ब) यदि राज्य 15वें वित्त आयोग (2021–22 से 2024–25) की अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान किसी विशेष वर्ष में अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं है, तो राज्य के पास इसका लाभ उठाने का विकल्प होगा तथा अप्रयुक्त धनरणीश (रूपये में) को 15वें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी वर्ष में उपयोग किया जा सकेगा।

प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

(प्रेम चन्द अग्रवाल वित्त मंत्री

3-

No. 154/XXXVI(3)/2023/07(1)/2023 Dated Dehradun, April 25, 2023

NOTIFICATION

<u>Miscellaneous</u>

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2023' (Act No. 09 of 2023).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 20th April, 2023.

THE UTTARAKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT(AMENDMENT) ACT, 2023

(Uttarakhand Act No. 09 Of 2023)

AΝ

Аст

further to amend The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent 1. and commencement	(1) This Act may be called The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2023.
	(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.
	(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.
Amendment of 2. section 4	In section 4 of the Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, in sub-section (3), for clauses (c) (d) and (f) the following clauses shall be substituted, namely:-
	(c) The fiscal deficit as a percent of GSDP (Gross State Domestic Product) for the financial year 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 and 2025-26 shall not exceed 4.0, 3.5, 3.0, 3.0 and 3.0 respectively.

(d) The consistent compliance with the goal setup in clause (c) shall reduce fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic Product;

(f) (i) Total liabilities as a percent of Gross State Domestic Product (GSDP) for the financial Year 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 and 2025-26 shall not exceed 32.6, 33.3, 33.1, 32.8 and 32.5 respectively.

(ii) If State is not able to fully utilize its sanctioned borröwing limit, in any particular year during the first four years of 15th Finance Commission (2021-22 to 2024-25), the State may utilize this unutilized amount in any of the subsequent years within the stipulated time period of the 15th Finance Commission:

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limit specified under this sub-section due to ground or grounds of unforeseen demands on the finance of the State Government due to internal security or natural calamity, subject to the condition that the excess beyond limits arising due to natural calamities shall not exceed the actual fiscal cost that may be attributed to the calamities:

Provided further that the ground or grounds specified in the first proviso shall be placed before the State Legislature, as soon as possible, after it becomes likely that deficit amount may exceed the aforesaid limits, with accompanying report stating the likely extend of excess, and reasons thereof.

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH, Secretary.

Statement of Objective and Reason

On the basis of the recommendation of the 12th Finance Commission, the Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 was notified on 31 October, 2005. Subsequently, amendments to the above Act were made in the year 2011, 2016 and 2020.

2- To ensure compliance to the recommendations of 15th Finance Commission and instructions of Government of India, it is necessary in the public interest to amend the Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

With the proposed amendment in the above Act, the state Government would be able to;

- (a) Follow indicative path of fiscal deficit given by 15th Finance Commission.
- (b) If State is not able to fully utilize its sanctioned borrowing limit in any particular year during the first four years of 15th Finance Commission (2021-22 to 2024-25), the state have the option to avail the same and this unutilized amount (Calculated in Rupees) may be utilized in any of the subsequent years within the stipulated time period of the 15th Finance Commission.
- 3- The proposed Bill fulfills the above objectives.

पी०एस0यू0 (आर0ई0) 09 विधायी ∕ 187−2023−100+500 (कम्प्यूटर ⁄ रीजियो)।